

**न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।**

धारा-बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-74/2020-21

योगन्द्र नाथ महतो.....आवेदक

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू.....विपक्षी।

**आदेश**

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी-योगन्द्र नाथ महतो, पिता-घासी महतो, सा०-भकुवाडी, पो०+थाना-सोनाहातु, जिला-राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-20 R27/2019-2020/बुण्डू में दिनांक-28.05.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

**भूमि विवरणी**

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
गोसाईंडीह	बुण्डू	13	83	316	10 डीसमील
चौहदी:-उ०-विक्रेता का नीज, पू०-10 फीट का प्रस्तावित रास्ता,			द०-विक्रेता का नीज, प०-विक्रेता का नीज।		

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार पूर्व में उपरोक्त भूमि का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय बुण्डू में नामांतरण वाद संख्या-101 R27/2017-2018/बुण्डू को मूल कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था। अपीलार्थी ने अज्ञानता में दोबारा नामांतरण हेतु नामांतरण वाद संख्या-20 R27/2019-2020/बुण्डू दायर किया जिसे "संबंधित नामांतरण पूर्व में अस्वीकृत हो चुका है, आवेदक को सक्षम प्राधिकार में आवेदन करना चाहिए" का कारण देकर अस्वीकृत कर दिया गया। अतः अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी को पुनः सुनवाई कर अपीलार्थी के नाम से दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, बुण्डू को आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०-20 R27/2019-2020/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार संबंधित नामांतरण पूर्व में अस्वीकृत हो चुका है, आवेदक को सक्षम प्राधिकार में आवेदन करना चाहिए अतएव इसी आधार पर अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है। ऑनलाईन जनित नामांतरण मुकदमा सं०-20 R27/2019-2020/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना में आवेदक द्वारा भूमि से संबंधित मूल कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को आवेदक उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त नामांतरण वाद को अस्वीकृत कर दिया गया।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनते हुए उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।  
लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
बुण्डू(राँची)।

31.10.2020